अनुदान संख्या 66 - निर्वाचन आयोग
GRANT No. 66 - ELECTION COMMISSION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	306,06,00	333,85,00	332,93,05	-91,95
पूरक	Supplementary	27,79,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	15,83,00	27,91,00	17,56,47	-10,34,53
पूरक	Supplementary	12,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,87,55

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
चुनाव	Elections				
मू.	O.	30606.00	33385.00	33293.05	-91.95
पु.	R.	2779.00			

(I) ₹5.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) "निर्वाचन आयोग – मतदाता जागरूकता" के अंतर्गत ₹1462.61 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और लोकसभा चुनावों के दौरान योजनाबद्ध प्रचार और विज्ञापन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹435.88 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचत (₹1772.92 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2015" – "निर्वाचन आयोग – स्थापना" के अंतर्गत ₹2179.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1811.54 लाख था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹1034.53 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1208.00 लाख के पूरक अनुदान का 86 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थी।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

(I) Provision of ₹5.00 lakhs remained wholly unutilised in under one head.

(II) Under "Election Commission - Voter Awareness" - saving of ₹1462.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards planned publicity and advertisement during Lok Sabha Elections.

(III) Under one head saving of ₹435.88 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹1772.92 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2179.00 lakhs in December, 2024 under Major Head "2015" - "Election Commission - Establishment" - Actual excess, however, was ₹1811.54 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1034.53 lakhs) constituted 86 percent of the supplementary grants of ₹1208.00 lakhs obtained in December, 2024 and 37 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	1382.00	403.45	403.45	..
पु.	R.	-978.55			

(I) "चुनाव – निर्वाचन आयोग" के अंतर्गत ₹978.55 लाख की बचत (₹1382.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ठेकेदार/एनबीसीसी द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करने में विलंब होने और आईटी/आईसीटी उपकरणों की कम खरीद किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Election - Election Commission" - saving of ₹978.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1382.00 lakhs) was due to delay in submission of DPR by the contractor/NBCC for construction of additional office building of ECI and less procurement of IT/ICT equipment.